



सत्यमेव जयते

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

### NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-1510/UP/5/2023-ESDW

दिनांक: 03.04.2023

श्री नरेंद्र मोहन,  
निदेशक,  
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,  
भारत सरकार,  
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,  
एन.एस. आई. कैम्पस, कल्याणपुर,  
कानपुर-208017, उत्तर प्रदेश  
ई-मेल: director.nsi@gov.in

श्री रोहित कुमार सिंह  
सचिव, (उपभोक्ता मामले)  
उपभोक्ता मामले विभाग,  
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,  
भारत सरकार,  
49, कृषि भवन, दिल्ली-110001  
ई-मेल: secy-ca@nic.in

**विषय:** अग्रिम अध्ययन हेतु सम्बंधित विभाग द्वारा अनुमति प्रदान नहीं किए जाने के संबंध में श्री कुलदीप सिंह राना, सहायक अभियंता (यांत्रिक), 305 नई कॉलोनी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कल्याणपुर-208017, कानपुर, उत्तर प्रदेश का दिनांक 03.03.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री कुलदीप सिंह राना से दिनांक 03.03.2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री कुलदीप सिंह राना,  
सहायक अभियंता (यांत्रिक),  
305 नई कॉलोनी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,  
कल्याणपुर-208017, कानपुर,  
उत्तर प्रदेश

4524-22  
8/4/23  
जारी किया  
ISSUED  
o/c

(एच. आर. मीना)  
अनुसंधान अधिकारी